राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 13.04.2016

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषयः –दिनांक 24.04.2016 को आयोजित ग्रामसभाओं में भामाशाह योजना के सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में।

संदर्भः– श्रीमान मुख्य सचिव का पत्र क्रमांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक– 07.04.2016

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 24.04.2016 को सभी ग्राम सभाओं में भामाशाह योजना का सामाजिक अंकेक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है, इसमें भामाशाह योजना का प्रथम प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके संबंध में निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी हैः–

1. राज्य स्तर से जिले को उपलब्ध करवाये गए भामाशाह डेटा का मुद्रण करवाकर दिनांक 24.04.2016 को सामाजिक अंकेक्षण हेतु ग्राम सभा में रखा जाए।
2. सभी लाभार्थीयों का भामाशाह डेटा ग्राम सभा में पढ़कर सुनाया जावे एवं यदि किसी प्रकार की आपत्तियां हो तो उनका संलग्न प्रपत्र में इन्द्राज कर यथासम्भव मौके पर ही आवश्यक निराकरण किया जाए।
3. यदि किसी आपत्ति का मौके पर निराकरण सम्भव ना हो, तो ऐसी आपत्तियों को जिले के उपनिदेशक, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग संकलित कर यथोचित आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
4. दिनांक 20–24 अप्रेल 2016 तक ग्राम पंचायत पर सक्रिय ई–मित्रों की सहायता से ग्राम सभा स्थल (प्राथमिकता से अटल सेवा केन्द्र) पर भामाशाह नामांकन, सीडिंग, माईक्रो ए.टी. एम. से आहरण की सुविधा की व्यवस्था की जाए।
5. नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राशन के लाभार्थी जो भामाशाह प्लेटफॉर्म से लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं उनका ग्राम पंचायत वार डेटा भामाशाह पोर्टल से उपनिदेशक, /सहा॰ निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रिंट करवाकर उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे सभी लाभार्थियों को ग्राम सभा में आमंत्रित कर भामाशाह प्लेटफॉर्म से बैंक खाते में सीधे लाभ प्राप्त करने के प्रति प्रोत्साहित कर लाभार्थियों के डेटा में भामाशाह संख्या, आधार एवं बैंक विवरण सीड किया जाएगा।

6. जिन लाभार्भियों का भामाशाह/आधार नामांकन नहीं हुआ अथवा खाता नहीं खुला है उनके नामांकन एवं उनका खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए।

7. ग्राम सभाओं में अवितरित भामाशाह एवं रूपे कार्डो के वितरण की व्यवस्था भी की जाए।

8. रूपे कार्डो, पिन नम्बर के वितरण के लिए सम्बन्धित बैंक शाखा एवं बैंकिंग संवादकर्ता से पूर्व समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि जनधन योजना में जारी किये गए सभी रूपे कार्डो का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांक- 13.04.2016

प्रतिलिपिः-

1. वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला.............
4. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला............
5. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला...........
6. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला..............

(राजेन्द्र सिंह तंवर)
संयुक्त निदेशक(भामाशाह)

भामाशाह योजना

जिलाः **पंचायत समितिः** **ग्राम पंचायतः**

दिनांक 24.04.2016 को आयोजित ग्राम सभा में सामाजिक अंकेक्षण के लिए भामाशाह प्लेटॅफार्म के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान किए गए लाभों का प्रथम प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके सम्बन्ध में आम नागरिकों से प्राप्त आपत्तियों व उनके निस्तारण का विवरण

क सं.	गांव का नाम	भामाशाह कार्ड/रसीद संख्या	आपत्तिकर्ता का नाम	मोबाईल नम्बर	आपत्ति का विवरण	हस्ताक्षर/अंगूठा निशान	किया गया निस्तारण/की गई कार्यवाही	निस्तारणकर्ता का नाम व पद
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								

ग्राम सेवक का नाम व हस्ताक्षर